उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-541/2021/3065/41-2021-137(बजट)/2020

लखनऊ दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

संख्या-482/आई/104223/41-1002(001)/62/2021, दिनांक 06.10.2021

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-3732/6-1-1(1261)/2020/21, दिनांक 11 अक्टूबर 2021 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद अमरोहा स्थित शाह विलायत दरगाह के पर्यटन विकास कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-482/आई/104223/41-1002(001)/62/2021, दिनांक 06.10.2021 के पृष्ठांकन के क्रम सं0-4 में त्रुटिवस मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ अंकित किया गया है, जबकि इसके स्थान पर आदर्श कोषागार कलेक्टेट्र भवन, लखनऊ अंकित होना चाहिए था।

2. अतः एतद्वारा शासनादेश संख्या-482/आई/104223/41-1002(001)/62/2021, दिनांक 06.10.2021 के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** पर अंकित **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** के स्थान पर **आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट भवन लखनऊ** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 06.10.2021 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्तें एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, अमरोहा।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट भवन लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
11- अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड अमरोहा ।
12- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, बरेली/मुरादाबाद पर्यटन, आगरा।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in